

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं०-१८, सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ

e-mail: chiefengineerudd@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या— ५१३ /२/OM&M Cell / २०२२-२३

दिनांक: १२ अप्रैल, २०२३

सेवा में,

- १ प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।
- २ सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।
- ३ निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ।
- ४ सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—५४८३/ नौ—५—२०१७—४४७सा/२०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एस०टी०पी०) व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख-रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सेटेलमेन्ट की संरक्षित हेतु शासनादेश संख्या—५०४/ नौ—५—२०२०—३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

१	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
३.	लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेंडा के अनुसार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक ३१.०३.२०२२ को पूर्वान्ह ११:०० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई जिसका कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।	

भवदीय,

(राजवीर सिंह)

४ मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

प्रतिलिपि—

१. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, उ०प्र० शासन लखनऊ।
३. संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, उ०प्र० शासन लखनऊ को उनके पत्र रांख्या—६०८/ नौ—९—२०२३—८९ज/ २००१टीसी, दिनांक २९.०३.२०२३ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
४. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/आगरा/अयोध्या/गोरखपुर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर।
५. मुख्य अभियन्ता (नागर/विठ्ठान) प्रधान कार्यालय—०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
६. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर।
७. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
८. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गोरखपुर/अयोध्या/आगरा/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर।
९. महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम), लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर/अयोध्या/मेरठ एवं सहारनपुर।
१०. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी/बिजनौर/रामपुर/अनूपशहर/पिलखुआ व मुजफ्फरनगर।
११. सम्बन्धित फर्म।

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

संख्या : ५१३१२१०८८८८११/२०२२-२३
दिनांक : १२ अप्रैल, २०२३

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक ३१.०३.२०२३ को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-२३१९/नौ-५-२०१९-३९४सा/२०१८ दिनांक ११.०६.२०१९ द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बंधित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-८४९/नौ-९-१९-८९ज/२००१ दिनांक १८ जुलाई, २०१९ द्वारा मूल बजट रु० २५०.०० करोड़ एवं शासनादेश संख्या-२७४८/नौ-९-२०-८९ज/२००१, दिनांक ३०.१२.२०२० द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० ३५०.०० करोड़ प्रतिवर्ष एस०टी०पी० के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-५०४/नौ-५-२०२०-३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा समिति गठित की हैं।

समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में **दिनांक ३१.०३.२०२३ को पूर्वाह्न ११:०० बजे सम्पन्न हुई।** बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जल कल विभाग, नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेंडा प्रस्तुत किया गया एवं एजेंडा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। एजेंडा सं० २ हेतु मै० वी-ए टेक वाबाग, गाजियाबाद पैकेज हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेंडावार संस्तुति व तत्क्रम में दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:-

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
१	समिति की दिनांक २२ फरवरी-२०२३ के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।
२a)	(i) Exposure visit (ii) Online Registration for Exposure visit (iii) National Level Conference (iv) Inhouse Training (v) Practical Abroad Training	श्री रजनीश सिंह, परियोजना प्रबन्धक (पैकेज-४), मेसर्स वी०ए०टेक वाबाग, गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद पैकेज हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया तथा अवगत कराया गया कि Upay App के माध्यम से सहारनपुर हेतु Pilot Basis पर Online Training के रजिस्ट्रेशन इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जिसकी सफलता के उपरान्त अन्य शहरों पर भी लागू किया जायेगा। कार्यवाही:- उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग, चैनर्झ (i) प्रस्तुतीकरण के दौरान महाप्रबन्धक, जलकल, सहारनपुर द्वारा Toll Free Number के संबंध में अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा ९ शहरों में कार्य कराया जा रहा है जिससे एक ही Toll Free Number से शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में Toll Free Number पर शिकायतें दर्ज कराने में जनमानस को कठिनाई होती है तथा निवारण हेतु अनुरोध किया गया गया कि अलग-अलग शहरों हेतु

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		<p>अलग—अलग Toll Free Number फर्म द्वारा जारी किये जाएँ। समिति द्वारा सर्वसम्मती से सहमति देते हुये फर्म को निर्देश दिये गये कि अलग—अलग शहरों हेतु अलग—अलग Toll Free Number जारी किया जाये।</p> <p>कार्यवाही:- उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग, चैन्नई</p> <p>(ii) फर्म द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण में रामपुर नगर में नाले को टैप कर एक नग एस०टी०पी० को प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रगति पर है, से अवगत कराया जिस पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यों की पुरावृत्ती ना हो इस पर उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा ध्यान दिया जाए।</p> <p>कार्यवाही:- सम्बन्धित फर्म /उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p> <p>(iii) श्री रजनीश सिंह द्वारा जल प्रहरी शीर्षक गीत के बारे में अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा कार्यस्थल पर प्रयुक्त किये जाने वाले T&P के माध्यम से कार्य कराये जाने के दौरान यह गीत चलाया जायेगा जिससे जल संचयन के महत्व व प्रचार प्रसार किया जाना संभव होगा।</p> <p>प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि फर्मों द्वारा प्रचार—प्रसार हेतु Social Media पर गतिविधि कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। अग्रेतर निर्देश दिये गये कि गीत की समय अवधि को छोटा कर Toll Free Number की Caller Tune में प्रयोग किया जाए।</p> <p>कार्यवाही:- उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग, चैन्नई</p> <p>(iv) प्रमुख सचिव महोदय द्वारा मेसर्स वी०ए०टेक वाबाग को निर्देश दिये गये कि प्रस्तुतीकरण में सुधार की आवश्यकता हैं तथा आगामी बैठक में समर्त फर्मों को निर्देश दिये गये कि रेगुलर रखरखाव के कार्यों पर 3 minute की video के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाये।</p> <p>कार्यवाही:- सम्बन्धित फर्म/उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p>
2 i)	पावर फैक्टर को Improve किये जाने के संबंध में।	<p>उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-</p> <p>(i) यथासंभव एस०टी०पी० पर सोलर प्लान्ट इस प्रकार प्रस्तावित किये जाये जिससे कि प्रश्नगत एस०टी०पी० Electricity के मद में Self-Sufficient रहे। अग्रेतर निर्देश दिये गये कि सोलर पैनेल के माध्यम से विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का Standardization किया जाए एवं यह भी निर्देश दिये गये कि कराये जाने वाले</p>

एजेण्डा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		<p>कार्यों की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु CVC गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए Cluster में Tendering कराये जाने पर आख्या प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p> <p>(ii) पावर फैक्टर के संबंध में मुख्य अभियन्ता (वि०/यां०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि चारों पैकेजों में कुल 27 नग एस०टी०पी० तथा 78 नग आई०पी०एस० / एस०पी०एस० का रखरखाव सम्बन्धित फर्मों द्वारा कराया जा रहा है। वन सिटी वन ऑपरेटर से पूर्व 21 नग एस०टी०पी० / एम०पी०एस० तथा 65 नग आई०पी०एस० / एस०पी०एस० के पावर फैक्टर मानक के अनुरूप नहीं थे। वर्तमान में 16 नग एस०टी०पी० / एम०पी०एस० तथा 21 नग आई०पी०एस० / एस०पी०एस० में पॉवर फैक्टर मानक के अनुरूप नहीं हैं अर्थात् पावर फैक्टर में पहले से सुधार हुआ है। समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।</p>
2 j)	Solar Plants के निर्माण की अद्यतन स्थिति व नये प्रस्ताव के संबंध में।	मुख्य अभियन्ता (वि०/यां०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि कुल 06 स्थलों पर कुल 6.5 MW की क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित हैं। साथ ही अवगत कराया गया कि आगरा पैकेज में 7 नग एस०टी०पी० पर 3 नग कुल क्षमता 195 kw के सोलर प्लांट के कार्य प्रगति पर है। अग्रेतर अवगत कराया गया कि अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सोलर प्लांट प्रस्तावित हैं। समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
2 k)	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जी०एस०टी० के 18 प्रतिशत लागू होने की तिथि के संबंध में इसका परीक्षण लेखा अनुभाग द्वारा कर प्रकरण का निस्तारण किया जाए।	अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि ओ०एम०एण्ड एम० सेल के पत्र संख्या-498/27/OM&M Cell/2022-23 दिनांक 17.03.2023 द्वारा आयुक्त, वाणिज्य कर, उ०प्र०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है, उत्तर अभी तक अपेक्षित है। कार्यवाही: ओ०एम०एण्ड एम० सेल
2 n)	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व निर्धारित लैबों की प्राथमिकता के अनुसार अन्य तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Labs से Composite sampling एक साथ करायी जाए।	अध्यक्ष महोदय द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि Composite sampling एक साथ करायी जाए। कार्यवाही: उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2 o)	अध्यक्ष महोदय द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि स्वयं अयोध्या एस०टी०पी० के फीकल कॉलीफार्म की जाँच कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 12 एम०एल०डी अयोध्या एस०टी०पी० का निरीक्षण दिनांक 23.03.2023 को किया गया एवं एस०टी०पी० व फीकल कॉलीफार्म compliant पायी गयी। अग्रेतर अवगत कराया गया कि फीकल कॉलीफार्म में फर्म को APHA प्रक्रिया से टेस्ट कराने हेतु अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि फर्म की ट्रेनिंग उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा करायी जाये। कार्यवाही: उ०प्र० जल निगम (नगरीय/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संबंधित फर्म

एजेण्डा सं० 3/ गाजिया बाद	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना			समिति द्वारा दिये गये निर्देश समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (गा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / संबंधित नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।			
उ०प्र० जल निगम द्वारा माह दिसम्बर-2022 (अवशेष), जनवरी-2023 (अवशेष), के सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा माह फरवरी-2023 के बिल का अनुबंध के सेक्शन-VI, क्लॉज-6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत धनावंटन करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।							
उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत है—							
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	25 th Payment Certificate/Bill-December, 2021 (Correction of erroneous checking)	37 th Payment Certificate/Bill-December, 2022 (Balance Payment)				
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	34,59,793.14	1,91,92,219.99				
2-	जी०एस०टी० (18%)	4,15,175.18	34,54,599.59				
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00				
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज /सुपरवीजन चार्जस (10%)	3,45,979.31	19,19,222.00				
5-	योग (1+2+3+4)	42,20,947.63	2,45,66,041.58				
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	38 th Payment Certificate/Bill-January, 2023 (Balance Payment)	39 th Payment Certificate/Bill-February, 2023 (Adhoc Payment)				
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	1,81,64,152.57	5,61,35,459.08				
2-	जी०एस०टी० (18%)	32,69,547.46	1,01,04,382.63				
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	6,07,737.00				
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज /सुपरवीजन चार्जस (10%)	18,16,415.26	56,13,545.91				
5-	योग (1+2+3+4)	2,32,50,115.29	7,24,61,124.62				
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		12,44,98,229.13				
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		67,52,812.50				

एजेण्डा सं.	ओ०ए०ए०ए० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश																																								
4/ लखनऊ	<p>उ०प्र० जल निगम द्वारा माह दिसम्बर-२०२२ (अवशेष), जनवरी-२०२३ व फरवरी-२०२३ के सत्यापित बिलों पर धनावंटन की संस्तुति ओ०ए०ए०ए० सेल द्वारा की गयी।</p> <p>उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०ए०ए०ए० ए० सेल की संस्तुति निम्नवत् है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण</th><th>38th Payment Certificate/ Bill- December- 2022 (Balance Payment)</th><th>39th Payment Certificate/ Bill- January- 2023</th><th>40th Payment Certificate/ Bill- February- 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पेमेंट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>2,07,97,610.48</td><td>7,14,36,194.74</td><td>7,47,05,919.71</td></tr> <tr> <td>2</td><td>जी.एस.टी. (18%)</td><td>37,43,569.89</td><td>1,28,58,515.05</td><td>1,34,47,065.55</td></tr> <tr> <td>3</td><td>प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)</td><td>-</td><td>6,45,842.00</td><td>3,15,840.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>उ०प्र० जल निगम को देय सेटेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)</td><td>20,79,761.05</td><td>71,43,619.47</td><td>74,70,591.97</td></tr> <tr> <td>5</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>2,66,20,941.41</td><td>9,20,84,171.26</td><td>9,59,39,417.23</td></tr> <tr> <td>6</td><td>उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि</td><td></td><td>21,46,44,529.90</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्को एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण</td><td></td><td>1,35,05,625.00</td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्र. स.	पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	38 th Payment Certificate/ Bill- December- 2022 (Balance Payment)	39 th Payment Certificate/ Bill- January- 2023	40 th Payment Certificate/ Bill- February- 2023	1	पेमेंट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2,07,97,610.48	7,14,36,194.74	7,47,05,919.71	2	जी.एस.टी. (18%)	37,43,569.89	1,28,58,515.05	1,34,47,065.55	3	प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	-	6,45,842.00	3,15,840.00	4	उ०प्र० जल निगम को देय सेटेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	20,79,761.05	71,43,619.47	74,70,591.97	5	योग (1+2+3+4)	2,66,20,941.41	9,20,84,171.26	9,59,39,417.23	6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		21,46,44,529.90		7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्को एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		1,35,05,625.00		<p>समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>
क्र. स.	पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	38 th Payment Certificate/ Bill- December- 2022 (Balance Payment)	39 th Payment Certificate/ Bill- January- 2023	40 th Payment Certificate/ Bill- February- 2023																																						
1	पेमेंट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2,07,97,610.48	7,14,36,194.74	7,47,05,919.71																																						
2	जी.एस.टी. (18%)	37,43,569.89	1,28,58,515.05	1,34,47,065.55																																						
3	प्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	-	6,45,842.00	3,15,840.00																																						
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेटेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	20,79,761.05	71,43,619.47	74,70,591.97																																						
5	योग (1+2+3+4)	2,66,20,941.41	9,20,84,171.26	9,59,39,417.23																																						
6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		21,46,44,529.90																																							
7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्को एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		1,35,05,625.00																																							
5/ आगरा	<p>उ०प्र० जल निगम द्वारा माह फरवरी-२०२३ के सत्यापित बिलों पर धनावंटन की संस्तुति ओ०ए०ए०ए० सेल द्वारा की गयी।</p> <p>उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०ए०ए०ए० ए० सेल की संस्तुति निम्नवत् है:-</p>	<p>समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल</p>																																								

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना				समिति द्वारा दिये गये निर्देश																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र. स.</th><th style="width: 40%;">पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण</th><th style="width: 30%;">39th Payment Certificate / Bill – February, 2023</th><th style="width: 30%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>3,43,78,899.88</td><td></td></tr> <tr> <td>2-</td><td>जी.एस.टी. (12% & 18%)</td><td>61,88,201.98</td><td></td></tr> <tr> <td>3-</td><td>फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>4-</td><td>उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)</td><td>34,37,889.99</td><td></td></tr> <tr> <td>5-</td><td>योग (1+2+3+4)</td><td>4,40,04,991.85</td><td></td></tr> <tr> <td>6-</td><td>उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि</td><td>4,40,04,991.85</td><td></td></tr> <tr> <td>7-</td><td>आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण</td><td>67,52,812.50</td><td></td></tr> </tbody> </table>				क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	39 th Payment Certificate / Bill – February, 2023		1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3,43,78,899.88		2-	जी.एस.टी. (12% & 18%)	61,88,201.98		3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00		4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	34,37,889.99		5-	योग (1+2+3+4)	4,40,04,991.85		6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	4,40,04,991.85		7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	67,52,812.50	
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	39 th Payment Certificate / Bill – February, 2023																																		
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3,43,78,899.88																																		
2-	जी.एस.टी. (12% & 18%)	61,88,201.98																																		
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00																																		
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10%)	34,37,889.99																																		
5-	योग (1+2+3+4)	4,40,04,991.85																																		
6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	4,40,04,991.85																																		
7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	67,52,812.50																																		
6/ गोरखपुर	<p>उ०प्र० जल निगम द्वारा माह दिसम्बर–2022 (अवशेष), जनवरी–2023 के सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा माह फरवरी–2023 के बिल का अनुबंध के सेवशन–VI, कलौंज–6.6 के अनुसार 75 प्रतिशत धनावंटन करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।</p> <p>उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषित सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संशोधित संस्तुति निम्नवत है—</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र. स.</th><th style="width: 40%;">पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण</th><th style="width: 15%;">39th Payment Certificate / Bill – December, 2022 (Balance Payment)</th><th style="width: 15%;">40th Payment Certificate / Bill – January, 2023</th><th style="width: 15%;">41th Payment Certificate / Bill – February, 2023 (Adhoc payment)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि</td><td>31,14,603.86</td><td>99,82,069.52</td><td>7427357.25</td></tr> <tr> <td>2</td><td>जी०एस०टी० (18%)</td><td>5,60,628.69</td><td>17,96,772.514</td><td>1336924.31</td></tr> <tr> <td>3</td><td>फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)</td><td>0.00</td><td>67,530.00</td><td>95322.00</td></tr> </tbody> </table>				क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	39 th Payment Certificate / Bill – December, 2022 (Balance Payment)	40 th Payment Certificate / Bill – January, 2023	41 th Payment Certificate / Bill – February, 2023 (Adhoc payment)	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	31,14,603.86	99,82,069.52	7427357.25	2	जी०एस०टी० (18%)	5,60,628.69	17,96,772.514	1336924.31	3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	67,530.00	95322.00												
क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	39 th Payment Certificate / Bill – December, 2022 (Balance Payment)	40 th Payment Certificate / Bill – January, 2023	41 th Payment Certificate / Bill – February, 2023 (Adhoc payment)																																
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	31,14,603.86	99,82,069.52	7427357.25																																
2	जी०एस०टी० (18%)	5,60,628.69	17,96,772.514	1336924.31																																
3	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	67,530.00	95322.00																																

एजेण्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश																		
	<p>4 उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस (10%)</p> <p>5 योग (1+2+3+4)</p> <p>6 उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि</p> <p>7 आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण</p>	<p>3,11,460.386 9,98,206.952 742735.73</p> <p>39,86,692.95 1,28,44,578.99 9602339.29</p> <p>2,64,33,611.20</p> <p>1,18,25,201.80</p>																		
(vii), (viii), एवं (ix)	<p>सदस्य सचिव द्वारा अनुरोध करते हुये अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर से सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त विद्युत बिलों को परीक्षणोपरान्त व संस्तुति के साथ प्रेषित किया है। सदस्य सचिव द्वारा विद्युत बिल पर धनावटन हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी।</p> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति निम्नवत् है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>जोन का नाम</th> <th>आवंटित की जाने वाली धनराशि</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>आगरा जोन</td> <td>56,90,086.28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>गाजियाबाद जोन</td> <td>1,69,22,991.51</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>गोरखपुर जोन</td> <td>1,49,36,837.28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">महायोग</td><td>3,75,49,915.07</td></tr> </tbody> </table> <p>ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा एजेण्डा iii से x तक की संकलित संस्तुति संलग्न है (संलग्नक-1)।</p>	क्र०सं०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि	1	2	3	1	आगरा जोन	56,90,086.28	2	गाजियाबाद जोन	1,69,22,991.51	3	गोरखपुर जोन	1,49,36,837.28	महायोग		3,75,49,915.07	<p>समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>
क्र०सं०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि																		
1	2	3																		
1	आगरा जोन	56,90,086.28																		
2	गाजियाबाद जोन	1,69,22,991.51																		
3	गोरखपुर जोन	1,49,36,837.28																		
महायोग		3,75,49,915.07																		

एजेंटा सं०	ओ०एम०ए० एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
x	<p>Deduction during influent of illegal industrial effluent which had affected Plant outlet parameter (Contract Permits no deduction in such situation) (Dec'20 to Jan'22)</p> <p>Agra Claim Amount Rs. 91.68 lacs</p> <p>मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) आगरा के पत्र संख्या-2794/47 दिनांक 05.11.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिसम्बर, 2019 से जनवरी-2022 के मध्य पीलाखार स्थित 10 एम०एल०डी० क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र पर शोधन हेतु प्राप्त सीवेज में सी०ओ०डी० की सान्धता, एस०टी०पी० के डिजाइन पैरामीटर से अधिक होने के दृष्टिगत पूर्व में की गई कटौती को अवमुक्त किये जाने हेतु संस्तुति सहित सूचित किया गया। अतः फर्म द्वारा इस मद में प्रेषित क्लेम, धनराशि रु० 91,68,811.00 के सापेक्ष रु० 84,06,859.00 अनुमन्य पाया गया है।</p> <p>क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र संख्या-1530/एच०ओ०-५६/२०२३ दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08.09.2022 के उपरान्त से नाले में Industrial effluent प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रदूषित करने वाली इकाई मेसर्स सुरेश आयरन फाउण्ड्री एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लॉट संख्या-सी-५५, औद्योगिक क्षेत्र, फाउण्ड्री नगर, आगरा को सुसंगत नियमों के अनुसार प्लान्ट का बंद कराया गया जिसकी पुष्टि दिनांक 14.11.2022 के निरीक्षण में की गयी है।</p> <p>मुख्य अभियन्ता—सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, एस०एम०सी०जी०-य००पी० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-०९/एस०एम०सी०जी०/०३५८/०१ दिनांक 01.01.2020 के बिन्दु संख्या-१० में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार क्लेम की जा रही धनराशि रु० 91,68,811.00 के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) द्वारा संस्तुत रु० 84,06,859.00 + रु० 1008823.08 (जी०एस०टी०) + रु० 840685.90 (सेन्टेज) अर्थात् कुल रु० 1,02,56,367.98 आंकित है पर निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।</p>	<p>समिति द्वारा धनराशि रु० 1,02,56,367.98 (GST + Centage) का धनावंटन की संस्तुति तथा संबंधित मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय)/नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। समिति द्वारा अग्रेतर निर्देश दिये गये कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स सुरेश आयरन फाउण्ड्री एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लॉट संख्या-सी-५५, औद्योगिक क्षेत्र, फाउण्ड्री नगर, आगरा के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही से आगामी बैठक में अवगत करायें।</p> <p>कार्यवाही:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड</p>
xi-1	<p>अन्य बिन्दू अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ ने शासन के पत्र संख्या-608/नौ-९-२०२३-८९ज/२००१ टी०सी०, नगर विकास अनुभाग-९, दिनांक 29.03.2023 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि राज्य के नगरीय क्षेत्र के एस०टी०पी/डब्लू०टी०पी० व</p>	<p>समिति द्वारा विचार विमर्श करते हुये निम्न पर मद स्थिर हुआ:-</p> <p>अ) जो नगर वन सिटी वन ऑपरेटर से अच्छादित हो, ऐसे नगरों हेतु वन सिटी वन ऑपरेटर की व्यवस्था में जो एस०टी०पी० व</p>

एजेंडा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>तत्संबंधी परिसम्पत्तियों के संचालन व अनुश्रवण हेतु नीति निर्धारित करने हेतु शासन द्वारा आख्या वांछनीय है।</p>	<p>तत्संबंधी परिसम्पत्तियां ना सम्मिलित हो, उन एस०टी०पी० व परिसम्पत्तियों को वित्तीय नियमों के अनुसार वन सिटी वन ऑपरेटर की व्यवस्था के अधीन लाने का मत स्थिर हुआ। साथ ही अतिरिक्त परिसम्पत्तियों को वन सिटी वन ऑपरेटर में समाहित करने पर सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की सहमति प्राप्त करना उचित होगा।</p> <p>ब) ऐसे नगर जो से वन सिटी वन ऑपरेटर से अच्छादित ना हो, में वन सिटी वन ऑपरेटर की व्यवस्था लागू करने हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये अथवा यदि नगर के सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों पर आने वाले व्यय अनुमान (वन सिटी वन ऑपरेटर की निविदित दरों पर) के कारण होने वाला विचलन यदि वित्तीय नियमों के अनुसार आस-पास के पैकेज में समाहित हो सकते हो तो उन्हें भी वन सिटी वन ऑपरेटर से अच्छादित करने का मत स्थिर हुआ। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की सहमति प्राप्त करना उचित होगा।</p> <p>स) वर्तमान में एस०टी०पी० व तत्संबंधी परिसम्पत्तियों जो वन सिटी वन ऑपरेटर से अच्छादित ना हो तथा जब तक वन सिटी वन ऑपरेटर में सम्मिलित ना हो तब तक उनके बिलों का सत्यापन नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त शासन को धनावंटन हेतु प्रेषित किये जाये।</p> <p>द) उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा यह मत स्थिर हुआ कि एस०टी०पी० व तत्संबंधी परिसम्पत्तियों के संचालन कार्य वन सिटी वन ऑपरेटर अथवा उ०प्र० जल निगम</p>

एजेप्डा सं०	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		<p>(नगरीय) द्वारा ही कराये जाये।</p> <p>य) अन्य विभागों द्वारा यदि एस०टी०पी० के संचालन, अनुश्रवण व रखरखाव की सहमति यदि दी जानी है कि संचालन कार्य वन सिटी वन ऑपरेटर अथवा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा किये जाये तो नियमानुसार (हैंडिंग ओवर, अद्यतन स्थिति तथा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए) संचालन व रखरखाव का कार्य वन सिटी वन ऑपरेटर अथवा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के माध्यम से कराया जायेगा।</p> <p>कार्यवाही:-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)।</p>
xi -2	श्री अनुज त्रिपाठी, परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स वी०ए०टेक० वाबाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के कार्यों हेतु कार्यों के समाप्त होने पर धनावंटन की कार्यवाही की जाती है जिससे कार्यों में विलम्ब की सम्भावना रहती है। कार्यहित में मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड कार्यों में शासन अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं हेतु जारी गाइड लाइन के अनुसार धनावंटन कराने का अनुरोध श्री त्रिपाठी द्वारा किया गया।	<p>समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के अनुसार धनावंटन उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के मुख्यालय को कर दिया जाये।</p> <p>कार्यवाही: ओ०एम०एण्ड एम० सेल/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p>
xi-3	श्री सौरभ श्रीवास्तव, अधिि० अभिि०, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि ओ०एम०एण्ड एम० सेल में सीवरेज एवम् पेयजल विशेषज्ञ का पद रिक्त है जिससे ओ०एम०एण्ड एम० सेल के दिन प्रतिदिन कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रिक्त पद पर नियुक्ति करने का अनुरोध अधिि०अभिि०, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा किया गया।	<p>अध्यक्ष मा० समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के मुख्य अभियन्ता स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी को विशेषज्ञ के रूप में नामित करने हेतु प्रस्ताव उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से प्राप्त कर लिये जाये।</p> <p>कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p>
xi-4	श्री रजनीश सिंह, मेसर्स वी०ए०टेक वाबाग, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद पैकेज में ९ शहरों के 15 एस०टी०पी० का संचालन कराया जा रहा है। क्षेत्र के वृहद होने के कारण बिलों के परीक्षण/ सत्यापन में समय लगने के कारण बिल समय से ओ०एम०एण्ड एम० सेल को प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है। श्री सिंह द्वारा बिलों के मूवमेन्ट को तीव्र गति से कराये जाने हेतु आग्रह किया गया। श्री सौरभ श्रीवास्तव, अधिि० अभिि०, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त शहरों के बिलों के परीक्षण के उपरान्त बिलों का संकलन अधीि०अभिि०, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा किया जाता है।	<p>अध्यक्ष मा० समिति द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ को निर्देश दिये गये कि इस संबंध में समीक्षा कर नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करायें।</p> <p>कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</p>

एजेंडा सं	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
xi-5	श्री सौरभ श्रीवास्तव, अधिरो अभिरो, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले बिलों का परीक्षण करने हेतु ओ०एम०एण्ड एम० सेल को पूर्व में दिये गये 7 दिन के समय को बढ़ाकर 15 दिन करने का अनुरोध किया गया।	अध्यक्ष मा० समिति द्वारा 10 कार्य दिवस की सहमति दी गयी। कार्यवाही:-संबंधित उ०प्र० जल निगम/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित महाप्रबन्धक जलकल/अधिरो अधिकारी/संबंधित फर्म।
xi-6	अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अनुज त्रिपाठी, मेसर्स वी०ए०टेक० वाबाग, आगरा को निर्देशित किया गया कि सोलर प्लान्ट के बारे में पूर्ण विवरण व डिजाइन/ड्राइंग के साथ प्रस्तुतीकरण मुख्य अभियन्ता के माध्यम से समिति के आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	कार्यवाही:-मु०अभिरो (आगरा क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) आगरा।
xi-7	अध्यक्ष महोदय द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यों की बैठक हेतु प्रत्येक माह के 21, 22 व 23 की तिथि निर्धारित की गयी एवं समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उपर्युक्त निर्धारित तिथि से 10 कार्यदिवस पूर्व अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में ओ०एम०एण्ड एम० सेल को उपलब्ध करायें।	कार्यवाही:-संबंधित उ०प्र० जल निगम/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित महाप्रबन्धक जलकल/अधिरो अधिकारी/संबंधित फर्म।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संबंधित शासनादेशों, अनुबंध की शर्तों का अनुपालन किया जाए तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु जलकल/उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा सीवर कार्यों का एवं एस०टी०पी०/पमिंग रसेशन का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा शासनादेश संख्या-1958/नौ-9-22-89ज/2001 टी०सी०-1, नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 27.09.2022 के बिन्दु संख्या-5 का अनुपालन किया जाये।

(राजवीर सिंह)

सदस्य—सचिव

मुख्य अभियन्ता,

ओ०एम०एण्ड एम० सेल,

नगरीय निकाय निदेशालय,

उ०प्र०, लखनऊ

(अखिल सिंह)

सदस्य

उप/सहायक निदेशक (लेखा),

नगरीय निकाय निदेशालय,

उ०प्र०, लखनऊ

सदस्य

सदस्य—सचिव

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ

(नेहा शर्मा)

सदस्य

निदेशक,

नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,

लखनऊ

(अनिल ढांगा)

सदस्य,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० जल निगम (नगरीय),

लखनऊ

(अमृत अमेजात)

अध्यक्ष

प्रमुख सचिव,

नगर विकास विभाग,

उ०प्र० शासन, लखनऊ

तालिका-१

क्र.सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर जोन	आगरा जोन	आगरा जोन	गाजियाबाद जोन	लखनऊ जोन	कुल	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2,05,24,030.63	84,06,859.00	3,43,78,899.88	4,27,85,758.88	9,69,51,624.78	16,69,39,724.93	32,72,01,139.22
2	जी०एस०टी० (12%/18%)	36,94,325.51	10,08,823.08	61,88,201.98	71,97,025.06	1,72,43,704.87	3,00,49,150.49	5,81,84,205.93
3	पर्युल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	1,62,852.00	0.00	0.00	0.00	6,07,737.00	9,61,682.00	17,32,271.00
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेंटेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	20,52,403.06	8,40,685.90	34,37,889.99	42,78,575.89	96,95,162.48	1,66,93,972.49	3,27,20,113.92
5	योग (1+2+3+4)	2,64,33,611.20	1,02,56,367.98	4,40,04,991.85	5,42,61,359.83	12,44,98,229.13	21,46,44,529.91	41,98,37,730.06
6	आवधित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एफाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,18,25,201.80	0.00	67,52,812.50	67,52,812.50	6752812.50	1,35,05,625.00	4,55,89,264.30
7	बिहूत बिल	1,49,36,837.28	0.00	56,90,086.28	56,90,086.28	1,69,22,991.51	0.00	3,75,49,915.07
8	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (5+7)	4,13,70,448.48	1,02,56,367.98	4,96,95,078.13	5,99,51,446.11	14,14,21,220.64	21,46,44,529.91	45,73,87,645.13

(नव्य विपाठी)
सहायक संचालक